न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :— श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 59/2022

1. विमलादेवी पत्नी कृष्णलाल जाति कुम्हार निवासी चक 8 एसएसएम खाजूवाला।

.....प्रार्थीया

1. तेजपालसिंह पुत्र दुर्जनसिंह जाति राजपूत निवासी बरजांगसर तहसील सरदारशहर जिला चुरू।
2. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला।

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट
—: निर्णय :— दिनांक :— 07.11.2022

यह प्रार्थनापत्र प्रार्थीया की ओर से अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र का सार इस तरह से है कि प्रार्थीया के नाम से कृषि भूमि वाके चक 8 एसएसएम तहसील खाजूवाला के मुरब्बा नं0 27/42 के किला नं0 1 ता 4, 7 ता 10 सालम कुल 8.00 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड खातेदारीशुदा है जिसमें प्रार्थीया काबिज काश्त है। प्रार्थीया को अपने उक्त रकबा में काश्त व अन्यकार्य हेतु आने—जाने के लिये कोई अन्य रास्ता नहीं है जबकि मौके पर मुरब्बा नं0 27/50 के किलानं0 1, 10, 11, 20, 21 में 2—2 बिस्वा का रास्ता कटान शुदा है तथा मुरब्बानं0 27/42 के किला नं0 5 में से प्रार्थीया की भूमि के आने जाने हेतु रास्ता बना हुआ है। जो मौके पर चालू है। प्रार्थीया इसका उपयोग कर रही है प्रार्थीया को अपने खेत में प्रवेश करने के लिये अन्य कोई रास्ता नहीं है प्रार्थीया को अपने खेत में प्रवेश हेतु मु0नं0 27/42 के किला नं0 5 में उतर दिशा की तरफ पूर्व से पश्चिम में रास्ता की आवश्यकता है। प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र स्वीकार कर चक 8 एसएसएम तहसील खाजूवाला के मुरब्बा नं0 27/42 के किला नं0 5 में उतरदिशा की तरफ पूर्व से पश्चित में 2 बिस्वा रास्ता स्वीकार कर गैरमुमकिन रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का आदेश फरमावें।

सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थी सं0 1 बावजूद तलवी जरिये रजि0ए0डी0 के उपस्थित नहीं आने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार खाजूवाला के पत्रांक/तखा/रीडर/2022/679 दिनांक 17.10.2022 द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसके अनुसार [illegible] खाजूवाला के मुरब्बा नं0 27/42 के किला नं0 1 ता 4, 7 ता 10 क[illegible]2.02[illegible] है0 कृषि भूमि विमलादेवी पत्नी कृष्णलाल जाति कुम्हार खातेदार के नाम दर्ज है। [illegible]0 27/42 के किला नं0 5, 6, 13 ता 17, 23 ता 25 कुल 2.5290 है0 क0 [illegible]क0 कृषि भूमि तेजपालसिंह पुत्र दुर्जनसिंह जाति राजपूत बरजागसर तहसील स[illegible]शहर जिला चुरू खातेदार के नाम दर्ज है। मौके पर विमलादेवी को अपने खेत में आवागमन के लिए रास्ता नहीं लगता है व मु0नं0 27/42 के किला नं0 5 में 2 बिस्वा उतर की तरफ रास्ता प्रस्तावित है। बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:14:58 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार रिपोर्ट और प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र पर गौर करने के बाद अदालत का यह फैसला है कि मुरब्बा नंबर 27/42 के किला नंबर 5 में से 2 बिस्वा नया रास्ता स्वीकार किया जाना जायज है।

अदालत के फैसले के पीछे निम्न वजह है प्रार्थीया का कहना है कि वह वर्तमान में किला नंबर 5 में से होकर गुजर रही है। हल्का पटवारी द्वारा भी इस तथ्य की तस्दीक की गई है कि वर्तमान प्रार्थीया को अन्य कोई रास्ता आवागमन के लिए नहीं लगता है तथा किला नं0 5 के उतर की तरफ रास्ता प्रस्तावित है। इसलिए धारा 251 ए कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मुरब्बा नंबर 47/42 के किला नंबर 5 की उतरी तरफ सीमा के साथ साथ 2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार खाजूवाला इस रकबे की दोगुना डीएलसी जमा करवा कर इस रकबे को गैर मुमकिन रास्ता के तौर पर दर्ज करें अप्रार्थी फैसले के 30 दिन के भीतर क्षतिपूर्ति राशि हासिल कर सकते हैं नहीं तो राशि अमानत मद में जमा करा दी जाए।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:14:58 IST
Reason: SelfAttested